निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 2 (1)स्था/निकाशि/2007/ 810 दिनांकः 03-05-13

परिपत्र

विषयः समस्या (Grievances Redressal Cell) निवारण प्रकोष्ठ का गठन।

उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रतिदिन बहुत से लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर आते हैं जिनके त्वरित निस्तारण की महति आवश्यकता होती है। बहुत से प्रतिवेदनों में एकाधिक मुद्दे होते हैं जिनमें शिक्षा निदेशालय के कई प्रकोष्ठों द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होता है। ऐसे में कभी–कभी समन्वय के अभाव में कुछ जनसमस्याओं के निवारण में अनावश्यक देरी होने की सम्भावना बनी रहती है।

अतः निदेशालय में प्राप्त होने वाली गम्भीर जन/निजी समस्याओं के समन्वित प्रयास से त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से एक जन समस्या निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाती है। यह प्रकोष्ठ निदेशालय में दिनांक 06.05.13 से प्रभावी हो जायेगा।

प्रकोष्ठ के प्रभारी सहायक निदेशक, जयपुर रहेंगे। प्रकोष्ठ द्वारा उन समस्त प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जायेगा जिन्हें निदेशक/अतिरिक्त निदेशक द्वारा प्रकोष्ठ को मार्क किया जायेगा। प्रकरण दर्ज कर प्रकोष्ठ द्वारा लाल स्याही/मोहर से जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के प्रतीक के रूप में प्रथम पेज के दाहिनी ओर P.G. अंकित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् निस्तारण हेतु सम्बन्धित शाखा में भेजा जायेगा। एकाधिक शाखाओं से सम्बन्धित होने पर प्रकरण सभी सम्बद्ध शाखाओं को भेजा जायेगा। जवाब/निस्तारण होने पर संकलित कर सम्बद्ध को सूचित किया जायेगा। समस्या समाधान में लगने वाले सम्भावित समय का अंकन निदेशक/अतिरिक्त निदेशक द्वारा पूर्व में कर दिया जायेगा। अतः प्रकोष्ठ प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह रजिस्टर में दिये गये समय का भी अंकन करवायें। प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने यहाँ दर्ज प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रत्येक शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर निस्तारण का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक सोमवार उनके द्वारा ऐसे प्रकरणों की समीक्षा अतिरिक्त निदेशक को करवाई जायेगी जिनमें निर्धारित अवधि में किसी शाखा द्वारा निस्तारण नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक मासिक बैठक में निदेशक को प्रकोष्ठ की समीक्षा करवाने का दायित्व प्रकोष्ठ प्रभारी का रहेगा।

प्रत्येक शाखा में एक–एक अधिकारी इस प्रकोष्ठ द्वारा भेजे जाने वाले प्रकरणों के अपनी शाखा में त्वरित निस्तारण व जवाब भिजवाने हेतु प्रभारी रहेंगे। शाखावार नियुक्त किये जा रहे प्रभारियों के नाम इस प्रकार हैं:–

क्र.	शाखा का नाम	शाखा प्रभारी का नाम
1	प्रशासन एवं स्थापना शाखा	डा0 गुंजन भट्ट
2	कार्मिक एवं आर.वी.आर.ई.एस. शाखा	डा0 सुभाष यादव
3	आयोजना एवं समन्वय शाखा	डा0 मेधा जोशी
4	अनुदान शाखा	डा0 शाहीन आलम
5	लेखा शाखा	श्री विनोद कुमार शर्मा, सहा. लेखाधिकारी
6	छात्रवृत्ति शाखा	श्री रामजी लाल आर्सीवाल, सहा. लेखाधिकारी
7	बी.एड़. शाखा	डा0 आर.के. कोठारी
8	सूचना का अधिकार शाखा	डा0 दीपाली भार्गव
9	विधि शाखा	एच.एल.ए

प्रत्यके शाखा प्रभारी द्वारा अपनी शाखा में प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रकरणों का विवरण कम्प्यूटर में दर्ज रखा जायेगा। इस हेतु शाखा के संयुक्त/उपनिदेशक/प्रभारी अधिकारी के निजी सहायक व वह न होने की स्थिति में उनके द्वारा एक कर्मचारी जो कम्प्यूटर का जानकार हो, उनकी सहायतार्थ रहेगा। शाखा प्रभारी अपनी शाखा में प्राप्त प्रकरणों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे व निस्तारण निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करेंगे। निस्तारित प्रकरणों की सूचना वे प्रकोष्ठ प्रभारी को तत्काल भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकोष्ठ में दर्ज होने वाले प्रकरणों क समयबद्ध निस्तारण हेतु वे विशेष प्रयास करेंगे।

निदेशक/अतिरिक्त निदेशक द्वारा इस प्रकोष्ठ को मार्क की जाने वाली डाक अपने नियमित स्थान पर दर्ज होने के साथ–साथ इस प्रकोष्ठ में भी दर्ज होगी। यथा निदेशक उच्च शिक्षा को डाक से प्राप्त किसी जनसमस्या के पत्र का अंकन उनके निजी सचिव शाखा, तत्पश्चात् जनसमस्या प्रकोष्ठ व फिर सम्बन्धित शाखा में होगा लेकिन सभी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक समय न लगे अन्यथा प्रकोष्ठ गठन का उद्देश्य ही दूषित हो जायेगा।

(नवीन जैन)
निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त शाखा प्रभारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि महाविद्यालय।
5. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट पर डालने हेतु।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रकोष्ठ प्रभारी के यहाँ संधारित होने वाले रजिस्टर का प्रारूप

क्र.सं.	प्राप्त होने की दिनांक	भेजने वाले अधिकारी	आवेदक का नाम	विषय वस्तु	शाखाओं में भेजने की दिनांक	शाखाा जिसे भेजा गया	निस्तारण के लिए दी गई अवधि (दिवसों में)	शाखा से जवाब प्राप्ति की दिनांक	सम्बद्ध को सूचित करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

शाखा में संधारित रजिस्टर का प्रारूप

क्र.सं.	प्रकोष्ठ से प्राप्ति की दिनांक	नाम आवेदक	विषय वस्तु	डील करने वाले कर्मचारी/अधिकारी जिन्हें दिया गया	प्रकोष्ठ को जवाब भिजवाने की दिनांक व डिस्पेच नम्बर
1	2	3	4	5	6

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ2(1)स्था / निकाशि / 07 / दिनांक:–

संशोधित आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ2(1)स्था / निकाशि / 07 / 810 दिनांक 3.5.13 जिसके द्वारा समस्या निवारण प्रकोष्ठ (Grievances Redressal Cell) का गठन कर व शाखा प्रभारियों के नाम की सूची जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ. अल्पना पारीक, व्याख्याता (अकादमी) का नाम और सम्मिलित किया जाता है ।

सd–

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांक :– एफ2(1)स्था / निकाशि / 07 / 903-910 दिनांक:– 15-5-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. डॉ. अल्पना पारीक, व्याख्याता (अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त शाखा प्रभारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि महाविद्यालय।
6. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट पर डालने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

D:\d\all files e\ Order New